कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

दिनांक–27/05/2021

क्रमांकः–उनि/सशि/एफ–501/निशु/पापु/2021–22/422-23

समस्त मण्डल संयुक्त स्कूल शिक्षा
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

विषय :– शैक्षिक सत्र 2021–22 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण के क्रम मे आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2021–22 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 में समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों एवं वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जानी है। **प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति, वितरण एवं प्रबोधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा :–**

- मण्डल स्तर पर **अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,** निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला षिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।
- जिला स्तर पर **सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी**, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) से समन्वय रखते हुए कार्य करेगें साथ ही पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी के रूप में स्थानीय डिपो मैनेजर के साथ समन्वय रखकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित वितरण करवाने हेतु प्रबोधन करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर **अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)** कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठय पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में अधीनस्थ नोडल अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।

शैक्षिक सत्र 2021–22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यस्थित वितरण के लिए अग्राकिंत बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. **विद्यार्थियों को शैक्षिक सत्र 2020–21 के कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण–पत्र/अंक तालिका वितरण के साथ ही उनसे उक्त सत्र में वितरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन उपरान्त प्राप्त कर बुक बैंक मे जमा की जाएं।**
2. राजकीय विद्यालयों मे अध्ययनरत कक्षा 01 से 03 के समस्त विद्यार्थियों को शत प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएं।
3. कक्षा 04 से 09 में विद्यार्थियों द्वारा गत सत्र की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों का 50 प्रतिषत को उपयोग लेना है। प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएं।
4. कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की लागु पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। अतः विद्यार्थियों से अध्ययन उपरान्त लौटकर आई 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएं।
5. कक्षा 10 की शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की है, अतः प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को शत–प्रतिशत नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाए।
6. कक्षा 11 में अंग्रेजी साहित्य की The Guide एवं Julius Caesar पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर पाठ्यक्रम की है। यह पुस्तकें शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागु होंगी, अतः तदनुसार विद्यार्थियों को शत प्रतिशत नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएं।
7. कक्षा 11 में शेष समस्त विषयों की विद्यार्थियों से अध्ययन उपरान्त लौटकर आई को 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को 50 प्रतिशत नई एवं 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएं।

8. कक्षा 12 में कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, अदबी सुगंध, अझो एवं आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–2 विषय की पुस्तकें गत शैक्षिक सत्र अनुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर पाठ्यक्रम की है। अतः विद्यार्थियों से अध्ययन उपरान्त लौटकर आई 50 प्रतिशत पुरानी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाना है।
9. कक्षा 12 में शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की है, अतः प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को शत–प्रतिशत नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जानी है।
10. जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम के संबंध मे आपको अवगत करवाया दिया जाएगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक एवं प्रारंभिक (मुख्यालय)।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता – निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, दूरभाष – 0151–2544164 ईमेल –: ad.soedudse@gov.rajasthan.in